

# निविदा सूचना क्रमांक एम.पी.पी.सी.बी. / स्था. / 2017-18

## ई-वेस्ट तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री का विक्रय

निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1000.00
धरोहर राशि ग्रुप ए ई-वेस्ट	रु. 1000.00
धरोहर राशि ग्रुप बी अन्य अनुपयोगी सामग्री हेतु	रु. 3500.00
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय	05.12.2017, 1.00 बजे दोपहर
निविदा खोलने की तिथि तथा समय	05.12. 2017, 3.00 बजे दोपहर



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -16

दूरभाष : 0755-2466191, वेबसाईट: [www.mppcb.nic.in](http://www.mppcb.nic.in) ई.मेल : [it.mppcb@rediffmail.com](mailto:it.mppcb@rediffmail.com)



## मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -16

क्रमांक

/प्रनिबो/स्था/2017

भोपाल, दिनांक

/ /2017

### अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य ई-वेस्ट तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री का विक्रय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री जैसे एयर कण्डीशनर्स, कम्प्युटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, यू.पी.एस. आदि सामग्री तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री जैसे फर्नीचर, कूलर, पंखे, अल्मारियाँ, एल्यूमिनियम पार्टिशन फ्रेम स्क्रेप इत्यादि "जैसे है जहाँ है" की हालत में पृथक-पृथक समूह (ग्रुप) में विक्रय की जाना है। ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री का विक्रय उन्हीं निविदाकर्ताओं को किया जायेगा, जो ई-वेस्ट अधिनियम के तहत केन्द्रीय /मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री के क्रय हेतु रिसाईकलर के रूप में पंजीकृत /अधिकृत होंगे। ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री तथा अन्य विविध सामग्री के ग्रुप भी पृथक रहेंगे। जिसके लिए मुहरबंद निविदायें आमांत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 05.12.2017 को दोपहर 1.00 बजे दोपहर तक जमा करायी जा सकती है जो कि उसी दिन उपस्थित निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म कार्यालय समय में राशि रु. 1000.00 (रु. एक हजार मात्र) नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

इच्छुक निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र की शर्त एवं नियम को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट [www.mppcb.nic.in](http://www.mppcb.nic.in) पर भी देखा जा सकता है। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित न होकर केवल वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगा।

### विक्रय हेतु शर्तें

1. निविदाकर्ता की व्यक्ति पहचान हेतु आई.डी.पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। (वाहन लायसेंस/पेन नं./वोटर आई.डी./आधार कार्ड)
2. निविदा प्रपत्र रुपये 1000/- (रु. एक हजार मात्र) नगद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की लेखा शाखा में जमा कर कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क किसी भी रूप में वापस नहीं किया जायेगा।
3. प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, (जो कि ग्रुप ए हेतु रु. 1000.00 एवं ग्रुप "बी" हेतु रु. 3500.00 रखी गई है), संलग्नक-अ में घोषणा पत्र, आई.डी.प्रूफ एवं ऐसी

अधिकृत संस्थाओं/निविदाकर्ताओं जो ई-वेस्ट अधिनियम के तहत केन्द्रीय /मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री के क्रय हेतु रिसाईक्लर के रूप में पंजीकृत /अधिकृत होंगे तथा उनके पक्ष में वैध प्रमाण-पत्र केन्द्रीय /मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो की सत्यापित प्रति तथा घोषणापत्र होगा । आई.डी.प्रूफ की मूल प्रति निविदाकार को निविदा खोलने की दिनांक को अपने साथ रखना अनिवार्य होगा , मॉगने पर दिखाना होगा ।

4. द्वितीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न (संलग्नक – ब) दरों की सूची जिसमें प्रत्येक सामग्री (ग्रुप) के सामने अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए दरों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा । (शब्दों में उल्लेखित दर अंतिम रूप से मान्य होगी) ।
5. प्रथम लिफाफे की सभी शर्तों के पूर्ण होने की स्थिति में ही द्वितीय लिफाफा खोला जावेगा । प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि आदि का ड्राफ्ट न होने की स्थिति में द्वितीय लिफाफे को नहीं खोला जावेगा और न ही दरों पर विचार किया जावेगा ।
6. **ई-वेस्ट की सामग्री** ग्रुप क्रमांक “ ए ” में रखी गई है । पुराने कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकॉपी मशीन, एयर कण्डीशनर आदि सामग्री जो ई-वेस्ट की श्रेणी में आते हैं उस सामग्री का विक्रय उन्ही निविदाकर्ताओं को किया जायेगा जो ई-वेस्ट क्रय करने हेतु अधिकृत होंगे । अर्थात् ऐसी अधिकृत संस्थाओं /निविदाकर्ताओं को किया जायेगा जो ई-वेस्ट अधिनियम के तहत केन्द्रीय /मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री के क्रय हेतु रिसाईक्लर के रूप में पंजीकृत /अधिकृत होंगे तथा उनके पक्ष में वैध पंजीयन प्रमाणपत्र केन्द्रीय /मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ।
7. **अन्य अनुपयोगी सामग्री** जैसे फर्नीचर, कूलर, पंखे, अल्मारियाँ, एल्यूमिनियम पार्टीशन फ्रेम स्क्रेप इत्यादि सामग्री ग्रुप क्रमांक “बी” में रखी गई है । ई-वेस्ट तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री के पृथक-पृथक ग्रुप तैयार किये जायेंगे जिन्हें कि निविदा प्रपत्र के आगामी बिन्दुओं में संबंधित सामग्री के नाम से संबोधित किया गया है । जिसमें केवल संबंधित वर्ग की ही सामग्री शामिल होगी ।
8. फैक्स से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी । निविदाकर्ता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निविदाएँ कार्यालय के टेण्डर बॉक्स में जमा कराना होगी तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक निविदायें स्पीड पोस्ट से भी स्वीकार की जायेगी ।

9. विक्रय की गई सामग्री के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री को कार्यालय परिसर से अनाधिकृत रूप से ले जाने पर संबंधित व्यक्ति/निविदाकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
10. प्रत्येक ग्रुप के लिए धरोहर राशि (जो कि ग्रुप ए हेतु रू. 1000.00 एवं ग्रुप बी हेतु रू. 3500.00 रखी गई है), का डिमांड ड्राफ्ट जो कि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से देय होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । एक से अधिक ग्रुप के लिए राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा । लेकिन वह एक ही लिफाफे में रखना होगा ।
11. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । प्राप्ति दिनांक से 120 दिवस तक वैध होगी ।
12. निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होते ही निविदाकार को संपूर्ण राशि सात कार्य दिवस में कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ही संबंधित सामग्री का आधिपत्य निविदाकर्ता को दिया जावेगा । संपूर्ण राशि निर्धारित अवधि (सात कार्य दिवस) में जमा न करने की दशा में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित निविदा स्वीकृत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
13. संबंधित सामग्री “जैसे है जहाँ है” की हालत में ही निविदाकर्ता द्वारा आधिपत्य में लेना होगा ।
14. पूर्ण राशि जमा करने के उपरांत ही निविदाकर्ता को संबंधित सामग्री का आधिपत्य दिया जावेगा तथा संबंधित सामग्री के आधिपत्य दिये जाने के 24 घण्टे में निविदाकर्ता को यह सामग्री मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसर से हटाना होगा । इस समयावधि के उपरांत संबंधित सामग्री का दायित्व (सुरक्षा एवं अन्य सभी तरह से ) निविदाकर्ता का स्वयं का होगा ।
15. निविदाकार को संबंधित सामग्री जो समूह (ग्रुप) में रखी गई है, की निविदा दरें जो निविदाफार्म के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित हैं, में दर्शाना होगी तथा संबंधित सामग्री समूह (ग्रुप) के कुल योग में निविदा की राशि को अंको एवं शब्दों में उल्लेखित करना होगा तथा कुल योग में शब्दों में लिखी गई राशि ही संबंधित समूह (ग्रुप) के लिए अंतिम रूप से मान्य होगी ।
16. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
17. इच्छुक व्यक्ति विज्ञापन जारी होने की दिनांक से 05.12.2017 तक किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में संबंधित सामग्री का अवलोकन/निरीक्षण कर सकते हैं । ग्रुप क्रमांक “ ए ” तथा “बी” में संबंधित सामग्री/वजन लगभग है जो कि कम या अधिक हो सकती है ।

18. प्रथम उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा यदि संबंधित सामग्री की पूर्ण राशि जमा कर आधिपत्य सात दिवस में प्राप्त नहीं किया जाता है तो द्वितीय निविदाकार को प्रथम निविदाकार की दर पर संबंधित सामग्री का आधिपत्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जावेगा और यदि द्वितीय निविदाकार के द्वारा भी उन्हें प्रदत्त अवसर अनुसार संबंधित सामग्री का आधिपत्य नहीं लिया जाता है तो तृतीय उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार को प्रथम उच्चतम दर पर संबंधित सामग्री लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा । द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम दर निविदाकार को उपरोक्तानुसार दिये गये अवसर का लाभ यदि उनके द्वारा नहीं लिया जाता है तो उनके द्वारा जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
19. बिना कारण बताये निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का होगा ।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का निर्णय अंतिम और मान्य होगा ।
21. दिनांक 05.12.2017 को अपरान्ह 1.00 तक निविदाये प्राप्त की जावेगी एवं उसी दिन निविदाकर्ताओं के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे कार्यालय के सभाकक्ष में खोली जावेगी ।

**(प्रशासकीय अधिकारी)**  
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



**मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -16**

संलग्नक - अ

एम.पी.पी.सी.बी./स्था./2017-18

ई-वेस्ट तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री का विक्रय

—: घोषणा-पत्र :-

मैं.....मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के निविदा क्रमांक एम.पी.पी.सी.बी./स्था./2017-18 मे उल्लेखित संबंधित सामग्री जो ई-वेस्ट /अन्य अनुपयोगी सामग्री से संबंधित है के क्रय के लिये अपनी सीलबंद निविदा प्रस्तुत करता हूँ । मेरे द्वारा निविदा की शर्तों का भली-भांति अवलोकन कर लिया गया जो मुझे मान्य है । इस संबंध मे जानकारी निम्नानुसार है :-

1.	नाम/फर्म का नाम	
2.	निविदाकर्ता की पहचान हेतु आई.डी.पत्र की छायाप्रति (वाहन लायसेंस/पेन नं./वोटर आई.डी./आधार कार्ड )	
3.	ई-वेस्ट क्रय करने हेतु केन्द्रीय/मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत तथा उनके पक्ष मे जारी किया गया वैध प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक /वैधता जारी करने वाली व्यक्ति या संस्था का नाम	
4.	पिता का नाम	
5.	पता	
6.	दूरभाष नं.	
7.	धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक एवं राशि	
8.	बैंक का नाम	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....



**मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -16**

संलग्नक - ब

एम.पी.पी.सी.बी./स्था./2017-18  
ई-वेस्ट तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री का विक्रय  
(निविदाकर्ता द्वारा संबंधित समूह (ग्रुप) की दरें उल्लेखित करने हेतु प्रपत्र)

ग्रुप क्रमांक ' ए ' (ई-वेस्ट)			
क्रमांक	संबंधि सामग्री का नाम	लगभग संख्या	दी गई दरें
1	डेस्कटॉप कम्प्युटर विभिन्न मेक/मॉडल	05	
2	मॉनिटर	02	
3	की-बोर्ड	12	
4	प्रिन्टर विभिन्न मेक /मॉडल	18	
5	फोटोकॉपीयर मेक:केनन मॉडल एनपी 6130	01	
6	एयर कण्डीशनर्स विडों एवं स्प्लिट (विभिन्न मेक एवं मॉडल)	05	
7	एयर कण्डीशनर्स आउट डोर	01	
8	यू.पी.एस. विभिन्न मेक एवं मॉडल (0.5 से 05 KVA रेटिंग क्षमता )	06	
9	स्विच 8	01	
10	एक्सटर्नल डीवीडी राइटर	01	
11	माउस	03	
12	मदर बोर्ड	02	
13	डीलिंग राउटर	04	
14	डीलिंग एडाप्टर	08	
15	मोडेम	11	
16	डीलिंग राउटर	04	
17	डीलिंग एडाप्टर	08	
18	मोडेम	11	
19	लेपटॉप डेल	01	
ग्रुप क्रमांक ' ए ' (ई-वेस्ट) हेतु दी गई कुल दरें			
		(रुपये अंकों में)	
		(रुपये शब्दों में)	

**गुप क्रमांक 'बी' (अन्य अनुपयोगी सामग्री)**

क्रमांक	संबंधि सामग्री का नाम	लगभग संख्या	दी गई दरें
1	डेजर्ट कूलर	05	
2	पी.वी.सी.कूलर रेवेरा	04	
3	एक्सहास्ट फेन	05	
4	वाल फेन	01	
5	सीलिंग फेन मोटर	13	
6	सीलिंग फेन ब्लेड	39	
7	आफिस स्टील टेबल बड़ा	21	
8	डेजर्ट कूलर पम्प वर्टिकल	02	
9	डेजर्ट कूलर फेन ब्लेड	01	
10	रिवाल्विंग चेयर	20	
11	केन पाईप चेयर	46	
12	स्टील अल्मारी बड़ी एवं छोटी	18	
13	स्टील रैक बड़ी एवं छोटी	27	
14	स्टील चेस्ट	01	
15	पी.वी.सी.चेयर	03	
16	एल्युमिनियम पार्टीशन फ्रेम	800 किग्रा	
17	एल्युमिनियम पार्टीशन फ्रेम	500 किग्रा	
18	वुडन टेबल	03	
19	प्लाइवुड बोर्ड 4'X 8'	28	
20	एल्युमिनियम डोर	280 किग्रा	
21	वुडन रैक	05	
22	प्लाइवुड रैक 6X4	01	
23	मोपेड हीरो पुक माडल 1998	01	
24	वुडन चेयर	05	
25	मेन स्विच थ्री फेस 200 एम्पीयर	01	
26	एल्युमिनियम डोर फ्रेम	10 किग्रा	
27	टायर/टयूब	36	
28	व्हीकलस पाटर्स, शाकअप, हेडलाईट	02	
29	स्लाइडिंग विडो	02	
30	वुडन पार्टीशन 5'X 8'	05	
31	जी.आई. पाईप (बीस फिट साईज)	100 किग्रा	
32	टयूबलाईट फ्रेम	30	



33	पुराना कारपेट 10'x 20'	04	
ग्रुप क्रमांक 'बी' (अन्य अनुपयोगी सामग्री) हेतु दी गई कुल दरें			
		(रुपये अंकों में)	
		(रुपये शब्दों में)	

नोट :-

1. उपरोक्त ग्रुप मे उल्लेखित समस्त सामग्री संबंधित सामग्री समूह के कुल योग मे अंकित राशि ही उस (ग्रुप) समूह के लिये मान्य की जावेगी ।
2. दरें अंको एवं शब्दो मे लिखी जाना अनिवार्य है ।
3. सामग्री जहाँ है जैसी है की स्थिति मे ही प्राप्त करना होगी ।
4. ग्रुप क्रमांक ए मे उल्लेखित सामग्री ई-वेस्ट से संबंधित है, अतः शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार उक्त सामग्री का विक्रय उन्ही निविदाकर्ताओं को किया जावेगा जो ई-वेस्ट अधिनियम के तहत केन्द्रीय /मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मे ई-वेस्ट से संबंधित सामग्री के क्रय हेतु रिसाईक्लर के रूप में पंजीकृत /अधिकृत होंगे ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....